प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 02.05.2026

नगर एवं ट्रांस हिण्डन जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की सर्विलांस टीम व सभी थानों के द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 700 मोबाइल (अनुमानित कीमत 02 करोड़ रुपये) रिकवर कर मोबाइल स्वामियों को लौटाये गये।

सी ई आई आर (सेन्ट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल पर नगर एवं ट्रांस हिण्डन जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी, स्नैचिंग व मोबाइल खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए नगर एवं ट्रांस हिण्डन जोन पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 700 मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत करीब 02 करोड़ रुपये है, की बरामदगी की गई है। सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। बरामद किये गये मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के स्वामियों की पहचान कर प्रदान किये गये हैं।

थानावार मोबाइल बरामदगी का विवरण-

1. थाना कोतवाली नगर- 102
2. थाना विजयनगर-75
3. थाना सिहानीगेट- 30
4. थाना नन्दग्राम-27
5. थाना मधुबन बापूधाम -30
6. क्रॉसिंग रिपब्लिक-30
7. वेव सिटी-15
5. थाना कविनगर- 42
6.थाना साइबर- 06
7.इन्दिरापुरम-78
8.कौशाम्बी- 80
9.खोड़ा- 44
10.लिंक रोड- 35
11.साहिबाबाद- 38
12.टीला मोड़ -25
13.शालीमार गार्डन- 43

कुल योग – 700

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24/04/2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1.आदित्य पुत्र महक सिंह निवासी गांव परई थाना बरला छपार जिला मुजफ्फरनगर 2.यश पुत्र लोकेश 3.भीमसैन पुत्र सुरेश द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को दिनांक 23/04/2026 को बहला फुसलाकर भगा ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट व बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 02/05/2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आदित्य पुत्र महक सिंह निवासी ग्राम परई थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त आदित्य ने बताया कि मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, पीड़िता की मौसी मेरे गांव में रहती है, जहाँ पर पीड़िता का अपनी मौसी के घर आना जाना रहता था। इसी दौरान मेरी पीड़िता से बातचीत व पहचान हो गयी। दिनांक 23/04/2026 को मैंने पीड़िता को फोन करके बाहर घुमाने के लिए बुलाया तथा मैंने मौका पाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आदित्य पुत्र महक सिंह निवासी ग्राम परई थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार तथा एक किशोरी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

दिनांक 29.04.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पिता के साथ मारपीट कर उनकी गला दबाकर हत्या कर देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये साक्ष्य संकलन , सीसीटीवी फुटेज,

सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुये घटना में संलिप्त अभियुक्त आनन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्याम लाल शर्मा निवासी आंशु के मकान से आगे कैमिस्ट की दुकान वाली गली बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल निवासी रामनगर थाना सदर कोतवाली जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 30 वर्ष को दिनाकं 01.05.2026 की रात्रि में पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आनन्द शर्मा उपरोक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस व अभियोग से सम्बन्धित 1400 रुपये बरामद हुए। उक्त सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 109(1) बीएनएस (पु0मु0) व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त के बयानों के आधार पर धारा 309(6) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 02.05.2026 को थाना लोनी बार्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रियान्शु उर्फ लोमडी पुत्र स्व0 रमेश शर्मा निवासी सन्डे बाजार वाली गली , बिजली की दुकान के पास बन्द फाटक थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अभियोग से सम्बन्धित 02 जोडी पाजेब सफेद धातु व 01 अंगूठी सफेद धातु बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है तथा घटना में संलिप्त एक किशोरी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों व किशोरी अपचारी ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दिनांक 29.04.2026 को उत्तरांचल विहार सोसायटी में विकास के घर में लूट के आशय से घुसे थे जहाँ पर विकास के पिता रमेश शर्मा ने हम लोगों को देखकर शोर मचाने का प्रयास किया तब हमने लूट करने में विफल होता देख कर रमेश शर्मा के मुँह पर गमछा बाँधकर खींचकर फर्श पर लिटा दिया व प्लास्टिक की रस्सी से हाथ पैर बाँधकर डण्डे से पीटकर उसकी हत्या कर दी क्योंकि रमेश शर्मा ने हम लोगों को पहचान लिया था। अभियुक्त आनन्द शर्मा की पत्नी विकाश शर्मा के यहाँ पर खाना बनाने का काम करती थी जिस कारण रमेश शर्मा हमें पहले से जानता पहचानता था इसी बजह से हमने रमेश शर्मा की हत्या कर दी थी। पैसों की जरुरत होने के कारण हमने इस घटना को अंजाम दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1. आनन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्याम लाल शर्मा निवासी आंशु के मकान से आगे कैमिस्ट की दुकान वाली गली बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल निवासी रामनगर थाना सदर कोतवाली जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 30 वर्ष (पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार)।

2. प्रियान्शु उर्फ लोमडी पुत्र स्व0 रमेश शर्मा निवासी सन्डे बाजार वाली गली, बिजली की दुकान के पास बन्द फाटक थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

3.एक किशोरी बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में।

बरामदगी का विवरण-

पुलिस मुठभेड में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस तथा अभियोग से सम्बन्धित 02 जोडी पाजेब सफेद धातु व 01 अंगूठी सफेद धातु व 1400 रुपये बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या की घटना कारित करने वाला अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार। कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तारी / पुलिस मुठभेड़ का विवरणः- थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग व मु0अ0सं0 165/2026 धारा 103(1)BNS में तलाश वांछित अभियुक्त अन्तर्गत थाना लोनी बॉर्डर के बेहटा पुलिया पास चैकिंग की जा रही थी तभी जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आपके थाना के मुकदमे से संबंधित अभियुक्त आनन्द कुमार पुत्र श्यामलाल पता आशु के मकान से आगे केमिस्ट की दुकान वाली गली बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद अपने अन्य साथी के साथ बेहटा की तरफ आ रहे है। चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा किया गया तो भागने लगे तथा एक व्यक्ति गिर गया जो स्वयं को पुलिस से घिरता देख तथा पीछा करने पर अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया,पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ अपना बचाव करते हुए जवाबी कार्यवाही की गयी। जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है जिससे पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम आनन्द कुमार पुत्र श्यामलाल पताः आशु के मकान से आगे केमिस्ट की दुकान वाली गली बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष बताया। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैने दिनांक 29.04.2026 को रमेश शर्मा नि0 उत्तरांचल बिहार सोसायटी लोनी बॉर्डर की अपने साथी के साथ मिलकर मारपीट कर हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

आनन्द कुमार पुत्र श्यामलाल पता आशु के मकान से आगे केमिस्ट की दुकान वाली गली बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार आनन्द कुमार के विरुद्ध थाना लोनी बार्डर पर 01 मुकदमा दर्ज है।
1.165/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना लोनी बार्डर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड व स्नैचिंग के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार व अभियुक्त के कब्जे से एक कुन्डल पीली धातु बरामद।

कार्यवाही का विवरण:-दिनांक 01.05.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा लूट एवं स्नैचिंग के अभियोगों के अनावरण व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व लूट – स्नैचिंग की घटनाओं की रोकथाम हेतु श्रीमान पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में डाबर तिराहे पर पर संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की संघन चेकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना स्नैचिंग व मुठभेड का वांछित अभियुक्त हामिद बन्जारा पुत्र नूर मौहम्मद निवासी मौ0 ख्वाजानगर दातागंज थाना दातांगज जनपद बदायू उम्र करीब 25 वर्ष को डाबर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त के कब्जे से एक कुन्डल पीली धातु बरामद किया गया। उपरोक्त पीली धातु का कुन्डल थाना हाजा पर वादी श्री धर्मेन्द्र द्वारा दिनांक 26.04.2026 को पंजीकृत कराये गये अभियोग अन्तर्गत धारा 304(2), 317(2) बीएनएस से सम्बंधित है तथा अभि0 उपरोक्त थाना हाजा पर दिनांक 30.04.2026 को पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 109(1), 317(2), 3/25/27 आर्म्स एक्ट में भागा हुआ वांछित अभियुक्त है तथा अभियुक्त हामिद बन्जारा उपरोक्त के साथी अभियुक्त अब्दुल पुत्र सलमान निवासी त्यागी के मकान मे किरायेदार गली नम्बर 01 मकनपुर इन्दिरापुरम थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद मूल निवासी गांव बनियागाव थाना फरक्का जनपद मुर्शीदाबाद पश्चिम बंगाल उम्र करीब 32 वर्ष को दिनांक 30.04.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त हामिद बन्जारा के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण:-अभियुक्त हामिद बन्जारा उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त अपने साथी अब्दुल पुत्र सलमान निवासी त्यागी के मकान मे किरायेदार गली नम्बर 01 मकनपुर इन्दिरापुरम थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद मूल निवासी गांव बनियागाव थाना फरक्का जनपद मुर्शीदाबाद पश्चिम बंगाल उम्र करीब 32 वर्ष के साथ मिलकर कौशाम्बी, इन्दिरापुरम, साहिबाबाद व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र मे लूट व स्नेचिग की घटनाए वाहन व स्थान बदल बदलकर सुबह मार्निग वाक करने वाले लोगो को टारगेट करके कारित करते हैं। लूट व स्नैचिंग की घटनाएं करने के लिए चोरी किये गये वाहन स्कूटी/मोटरसाइकिल आदि का प्रयोग करते हैं तथा लोगों को डराने व अपनी रक्षा के लिए अवैध असलहों के प्रयोग करते हैं। अभियुक्त हामिद बन्जारा उपरोक्त ने बताय कि हम दोनों ने दिनांक 26/04/2026 को सुबह के समय करीब 6 बजे ओराना होटल वाली रोड वैशाली पर टहल रही एक बुजुर्ग महिला के कान से उसके दोनो कुन्डल छीने थे तथा हम दोनों ने एक–एक कुन्डल आपस में बाँट लिया था। उस समय मैं थोडी दूरी पर मोटरसाईकिल लिये खडा था। अब्दुल ने कुन्डल छीने थे और मैं मोटरसाईकिल स्टार्ट किये खडा था अब्दुल कुन्डल छीनकर भागकर मोटरसाईकिल पर बैठ कर मेरे साथ भाग गया था हम दोनो ने एक एक कुन्डल आपस मे बांट लिया था। दिनांक 30.04.2026 को भी हम दोनों किसी सोफ्ट टारगेट की तलाश में थे। तभी पुलिस के रोकने पर मेरे द्वारा ही अब्दुल से पुलिस पर फायरिंग करने के लिए कहा गया था। अब्दुल के गोली लगने पर मैं डर कर वहाँ से भाग गया था। आज मैं इस कुन्डल को बेचने किसी ग्राहक की तलाश में जा रहा था कि आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पता:-

1.हामिद बन्जारा पुत्र नूर मौहम्मद निवासी मौ0 ख्वाजानगर दातागंज थाना दातांगज जनपद बदायू

बरामदगी का विवरण:-

1.. एक कुन्डल पीली धातू बरामद

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

अभियुगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर दो अभियोग पंजीकृत हैं अन्य आपराधिक इतिहास की जामकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

स्वाट टीम गाजियाबाद व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।